


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना-पत्र संख्या 58/2018 बअनवान भाखराराम बनाम भारमलराम वगै. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 08.06.2022 | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़ उपरिथत। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दर्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराण में रहते अपीलांटगण को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे।</p> <p>अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अपील के स्तर पर अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  राजेश्वर अपील प्राधिकारी बाड़मेर </p> | |